(ग) यदि हां, तो उक्त अध्ययन के क्या निष्कर्ष निकले हैं; और

(घ) इस समस्या से निपटने के लिए क्या विशिष्ट तात्कालिक और दीर्घकालिक कदम उठाए गए हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० सी० सिल्वेरा) : (क) से (घ) भारत में गर्भवती महिलाओं में रक्ताल्पता की व्याप्तता काफी बड़ी संख्या में है। गंभीर रक्ताल्पता देश में मातृ मृत्यु दर के प्रमुख कारणों में से एक है। गर्भवती महिलाओं में पौषटिक कमी रक्ताल्पता का प्रमुख कारण है। गर्भावस्था के दौरान आयरन की आवश्यकता कई गुणा बढ़ जाती है जिससे हालत अधिक बिगड़ जाती है। कम अन्तराल में और बार-बार गर्भ धारण करना और ऐसे क्षेत्र जहां मलेरिया और अंकुश कृमि के संक्रमण का खतरा अधिक रहता है, रक्ताल्पता के अन्य कारण हैं। शिशु जीवनरक्षा और सुरक्षित मातृत्व कार्यक्रम के अधीन गर्भवती महिलाओं को आयरन तथा फौलिक एसिड की गोलियां उपलब्ध कराई जाती हैं और जन्म में फासला रखने के लिए अभिप्रेरित किया जाता है।

देश में मलेरिया, डायरिया और हैजे की घटनाएं

1181. **श्री शंकर दयाल सिंह** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि देश के अनेक हिस्सों में मलेरिया, डायरिया और हैजे का प्रकोप भयानक होता जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इन रोगों के फैलने के प्रमुख कारणों का पता लगाने के लिए प्रभावित क्षेत्रों का कोई सर्वेक्षण कराया है ;

(ग) इन रोगों को फैलने से रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं और क्या विभिन्न राज्य सरकारों को इस संबंध में कोई वित्तीय सहायता दी गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० सि० सिल्वेरा) :(क) वर्तमान मानसून के दौरान इन रोगों के प्रकोप संबंधी रिपोर्ट देश के कुछेक भागों से प्राप्त हुई है।

(ख) मलेरिया के संबंध में जानपदिक रोग विज्ञानी स्थिति की राज्य सरकारों के साथ सतत मानिटरिंग की जाती है तथा मलेरियाजनित परिस्थितियों को कम अथवा समाप्त करने के लिए कदम उठाए जाते हैं। हैजे तथा जठरान्त्रशोथ के संबंध में राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान, दिल्ली तथा राष्ट्रीय हैजा एवं आन्त्र रोग संस्थान, कलकत्ता के विशेषज्ञ प्रकोपों की जांच करते हैं तथा राज्य स्वास्थ्य प्राधिकारियों के परामर्श से सुधारात्मक उपाय करते हैं।

(ग) और (घ) राज्य सरकारों को कार्यक्रम के लिए अनुमोदित मानदंड के अनुसार मलेरिया के नियंत्रण के लिए कीटनाशक एवं औषधें प्रदान की जाती हैं। राज्य सरकारों द्वारा किए जाने वाले उपायों में मच्छर प्रजननता वाले स्थानों में कमी लाना, कीटनाशकों एवं लार्वानाशी इत्यादि का समयानुसार छिड़काव इत्यादि शामिल है। जठरान्त्रशोथ के रोगियों के लिए राज्यों को अतिसार से होने वाले निर्जलीकरण की समस्या से निपटने के लिए ओ० आर० एस० पैकेट दिए जाते हैं। स्वास्थ्य प्राधिकरणों द्वारा किए जाने वाले उपायों में शामिल हैं :—

—सुरक्षित पेय जल की व्यवस्था।

—खाद्य एवं निजी स्वच्छता में सुधार लाना।

—मानव मल का सुरक्षित निपटान।

—उपयुक्त स्वास्थ्य शिक्षा।

—निगरानी तथा मानिटरिंग।

—क्लोरीन गोलियों तथा ओ० आर० एस० पैकेटों इत्यादि का वितरण।